



2026:AHC:127246

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19757 वर्ष 2026

मुकेश..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : नीरज त्रिपाठी

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत जमानत याचिका, थाना कोतवाली देहात, जिला-बुलंदशहर की धारा 395, 412, 120 बी-भ०द०वि० के तहत अपराध संख्या-729 वर्ष 2011 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक को प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया है। प्राथमिकी चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। आवेदक का नाम सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयान में प्रकाश में आया था, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है। सह-आरोपी रवि, इमरान, आजाद और बृजेश शर्मा @ बिरजू के जमानत आदेशों की एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रति आवेदन में अनुलग्नक संख्या-6 के रूप में संलग्न की गई है। उपरोक्त सह-अभियुक्तों को निचली अदालत ने दिनांक 21.01.2026 के फैसले और आदेश के माध्यम से बरी कर दिया है। आवेदक को प्रस्तुत मामले के लंबित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह देहरादून (उत्तराखंड) में बस गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 13.05.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षगण के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. अन्य सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और बाद में उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

7. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक जमानत प्रदान किए जाने का मामला स्थापित करने में सफल रहा है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदक- मुकेश, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो समान सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं. / 84 भा.ना.सु.सं. के अधीन उद्धोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध धारा 174-क भा.दं.सं. / 209 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ होने, (2) आरोप तय किए जाने और (3) धारा 313 दं.प्र.सं. / 351 भा.ना.सु.सं. के अधीन बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति विचारपूर्वक या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करना खुला होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

ए.पी. पांडे

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।